

राजस्थान-सरकार  
न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)  
(बईजलास : श्री काना राम , आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 09/2019

दायर दिनांक-21.08.2019  
फैसल दिनांक-19.08.2020

श्रीमान् लेण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर(राज0)

प्रार्थी/अपीलान्त

बनाम

श्रीमती जयश्री पत्नि भुवेश लबाना, निवासी न्यू कॉलोनी जिला डूंगरपुर (राज0)

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

- उपस्थिति- 1. पैरोकार सरकार - अपीलान्त  
2. श्री संजीव भटनागर, एडवोकेट - रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा -75  
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
विरुद्ध आदेश जिला कलक्टर डूंगरपुर  
दिनांक 22.03.2018 प्रकरण संख्या 05/2017

- निर्णय -

यह अपील इस न्यायालय के पूर्व प्रकरण संख्या 05/2017 निर्णय दिनांक 22.03.2018 द्वारा रेस्पोडेन्ट को ग्राम लक्ष्मणपुरा की आ.नं. 806/760 में से 10.00 बीघा औद्योगिक प्रयोजनार्थ (रोलर फ्लोर मील ईकाई मय वेयर हाउस) स्थापना हेतु कीमतन 99 वर्ष की लीज पर आवंटित की गई भूमि को दो वर्ष की अवधि में आवंटित प्रयोजन उद्योग स्थापित नहीं करने से इस न्यायालय द्वारा भूमि आवंटन निरस्ती आदेश को यथावत रखा गया। आवंटी रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर में अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण में पुनः औद्योगिक प्रयोजन आवंटन निरस्ती की म्याद वृद्धि बाबत समुचित अवसर देकर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर ने उनके प्रकरण संख्या 04/2018 निर्णय दिनांक 15.05.2019 द्वारा इस न्यायालय के पूर्व प्रकरण संख्या 05/2017 निर्णय दिनांक 22.03.2018 को अपास्त किया गया तथा निर्देशित किया गया कि प्रकरण में आवंटी को सुनवाई का समुचित अवसर देकर म्याद वृद्धि के प्रकरण में निर्णय पारित करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से वकालतनामा पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा रिमाण्ड बिन्दुओं पर अपना पक्ष/जबाब एवं साक्ष्य भूमि आवंटी पत्रावली पर उपलब्ध होने से पुनः प्रस्तुत नहीं करने का अनुरोध किया। राजकीय पैरोकार एवं वकील रेस्पोडेन्ट की बहस समाप्त की गई।



01

राजकीय पेरोकर ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोजेन्ट को जिला कलक्टर डूंगरपुर के आदेश क्रमांक राजस्व/आंवटन/2010/6394-6400 दिनांक 28.10.2010 द्वारा ग्राम लक्ष्मणपुरा की आ.नं. 806/760 रकबा 50.00 बीघा में से 10.00 बीघा भूमि औद्योगिक (रोलर फ्लोर मील ईकाई मय वेयर हाउस) प्रयोजनार्थ आंवटन की गई है तत्पश्चात् दिनांक 02.11.2010 को तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा आंवटित भूमि का विपक्षी को मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया। विपक्षी को कब्जा सुपुर्द करने के पश्चात उनके द्वारा दो वर्ष की कालावधि में आंवटित प्रयोजन उद्योग की स्थापना कर उद्योग ईकाई से उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया है। आंवटन शर्तों के अनुसार विपक्षी द्वारा निर्धारित अवधि में म्याद बढ़ाने का कोई आवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी उद्योग स्थापित कर उत्पादन करने में अभिरूचि नहीं रखना पाया गया। विपक्षी को आंवटित भूमि का कब्जा सुपुर्दगी दिनांक 02.11.2010 से 2 वर्ष के भीतर उचित कारण दर्शाकर सक्षम अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत नहीं करने से औद्योगिक प्रयोजनार्थ उक्त भूमि आंवटन खारीज करने का पेरोकार सरकार ने अनुरोध किया।

वकील विपक्षी ने बहस में बताया कि औद्योगिक आंवटित भूमि का भौतिक रूप से मौके पर कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया है। उक्त आंवटित भूमि की लीज डीड दिनांक 10.12.2010 को सम्पादित किये जाने के कारण विपक्षी द्वारा उद्योग स्थापित करने की आंवटन शर्तों के अनुसार 2 वर्ष की कालावधि के भीतर सक्षम अधिकारी को पेश किया गया है। वकील विपक्षी ने यह तथ्य भी प्रकट किये कि आंवटी द्वारा आंवटित प्रयोजन उद्योग स्थापित करने हेतु बिजली कनेक्शन के लिये आवेदन किया, किन्तु समयावधि में विद्युत कनेक्शन न मिलने तथा बैंक ऋण प्राप्त करने स्वीकृति की कार्यवाही में विलम्ब होने से निर्धारित अवधि में उद्योग स्थापित कर उत्पादन नहीं हो सका। विपक्षी वकील द्वारा यह कथन भी किया कि भूमि आंवटन की अवधि लीज डीड जारी होने की दिनांक से मानी जावे। विपक्षी की उद्योग स्थापित करने की पूर्ण मंशा रही हैं। जिसमें केवल भूमि आंवटन तिथि से 2 वर्ष की अवधि आंवटन शर्तों के अनुसार मानी जाना उचित नहीं है। वकील विपक्षी ने मा0 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 15.05.2019 में दिये गये तर्कों अनुरूप औद्योगिक प्रयोजन आंवटन नियम 1959 के नियम 7 के तहत म्याद बढ़ाने की समूचित कार्यवाही उचित है। आंवटी द्वारा अवधि आंवटन शर्तों की पालना हेतु एक वर्ष की अवधि बढ़ाने हेतु निवेदन अनुरोध कर विपक्षी का किया गया औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन को निरस्त किये गये आदेश को अपास्त करने का आग्रह किया गया।

हमारे द्वारा पक्षकारों की रिमाण्ड बिन्दुओं पर की गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं आंवटन पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया गया।

रेस्पोजेन्ट की भूमि आंवटन पत्रावली एवं बहस के तथ्यों से स्पष्ट है कि रेस्पोजेन्ट को ग्राम लक्ष्मणपुरा की आ.नं. 806/760 में रकबा 10-00 बीघा भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ (रोलर फ्लोर मील ईकाई मय वेयर हाउस) स्थापना हेतु जिला कलक्टर डूंगरपुर के आदेश क्रमांक राजस्व/आंवटन/2010/6394-6400 दिनांक 28.10.2010 द्वारा आंवटित की गई।



रेस्पोजेन्ट को उक्त औद्योगिक ईकाई हेतु आवंटित भूमि का कब्जा दिनांक 02.11.2010 को सुपूर्द किया गया। रेस्पोजेन्ट को विवेचित भूमि का कब्जा सुपूर्दगी दिनांक से 2 वर्ष अवधि तक भूमि आवंटन शर्तों की पालना में जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की गई थी, उस प्रयोजन हेतु उद्योग स्थापित नहीं करने से 2 वर्ष की कालावधि गुजरने के उपरान्त जिला कलक्टर डूंगरपुर के आदेश क्रमांक 1203-09 दिनांक 17.04.2013 द्वारा रेस्पोजेन्ट को आवंटित भूमि प्रत्यावर्तित (Revert) की गई। रेस्पोजेन्ट द्वारा भूमि आवंटन निरस्ती के उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के न्यायालय में प्रथम अपील की गई। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर ने जिला कलक्टर डूंगरपुर द्वारा पारित आदेश क्रमांक 1203-09 दिनांक 17.04.2013 को अपास्त कर रेस्पोजेन्ट को सुनकर एवं प्रकरण की पूर्ण जांच कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रीमाण्ड किया गया। प्रकरण इस न्यायालय में पुनः दर्ज कर रेस्पोजेन्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 02/2014 निर्णय दिनांक 15.10.2014 द्वारा जिला कलक्टर डूंगरपुर द्वारा औद्योगिक विवेचित भूमि आवंटन निरस्ती आदेश को उचित माना जाकर प्रकरण निर्णित किया गया। रेस्पोजेन्ट द्वारा इस न्यायालय के पारित निर्णय दिनांक 15.10.2014 से असंतुष्ट होकर राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के न्यायालय में पुनः अपील प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के न्यायालय के प्रकरण संख्या 06/2014 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2016 द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.10.2014 को अपास्त कर रेस्पोजेन्ट को सुनवाई का अवसर देकर म्याद वृद्धि के प्रकरण में समुचित कार्यवाही के निर्देश के साथ प्रकरण रिमाण्ड किया गया। उक्त निर्णय के संदर्भ में प्रकरण इस न्यायालय में पुनः दर्ज कर रेस्पोजेन्ट को पुनः सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया। प्रकरण में तत्कालिन पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के मुताबिक रेस्पोजेन्ट उक्त प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि पर कब्जा सुपूर्दगी दिनांक 02.11.2010 से दो वर्ष की अवधि में उद्योग स्थापित करने में विफल रहने तथा आवंटी द्वारा निर्धारित म्याद बढ़ाने का कोई आवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.03.2018 द्वारा रेस्पोजेन्ट को औद्योगिक आवंटित भूमि की निरस्ती आदेश दिनांक 17.04.2013 को यथावत रखा गया। रेस्पोजेन्ट द्वारा उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर पुनः न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के न्यायालय में अपील पेश की गई। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के प्रकरण सं. 04/2018 में पारित निर्णय दिनांक 15.05.2019 द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.03.2018 को अपास्त कर म्याद वृद्धि के प्रकरण में सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ पुनः रिमाण्ड किया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर ने नियमों में प्रावधित समय सीमा बढ़ाने की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुये विवेचित आवंटन के आवंटी की सुनवाई कर समुचित आदेश देने रीमाण्ड निर्देश दिये है। प्रकरण में यह भी उल्लेखित किया जाना आवश्यक है कि राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1959 की धारा 7 में



अधिसूचना क्रमांक F.11(1)Rev-6/2002/8 दिनांक 28.02.2003 मे यह प्रावधान किया है कि यदि कोई निर्धारित समयावधि 2 वर्ष भीतर आवंटित प्रपज का उद्योग लगाने मे असफल रहता है तो इस समयावधि के भीतर उद्योग नहीं लगा पाने के कारणो का उल्लेख मय दस्तावेजों साक्ष्य के आवंटी स्वयं संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर को अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा। जिस पर संभागीय आयुक्त समूचित जॉच व प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार को अपनी टिप्पणी भिजवायेंगे। विवेचित मामले में आवंटी द्वारा आवंटन की कब्जा सुपूर्दगी दिनांक 02.11.2010 से दो वर्ष की अवधि दिनांक 01.11.2012 को समाप्त हुई है। आवंटी द्वारा इस अवधि के भीतर सक्षम अधिकारी को अवधि बढ़ाने कोई प्रार्थना पत्र देरी के समूचित कारणो व मय साक्ष्य के प्रस्तुत नही किया जाना पाया गया। अतः नियमों मे प्रावधित प्रक्रिया की अनुपालना नहीं की जाने से आवंटन अधिकारी अपने स्तर से अवधि बढ़ाने हेतु सक्षम नहीं हैं। विपक्षी इन नियमों के सेक्शन-7 के तहत संभागीय आयुक्त महोदय को अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन करने हेतु स्वतन्त्र हैं। यह पूर्व के निर्णयों में भी स्पष्ट हो चुका है कि आवंटी द्वारा इन नियमों के सेक्शन 7 की पालना मे निर्धारित दो वर्ष की अवधि मे आवंटित प्रपज के अनुरूप उद्योग लगाने मे असफल रहे हैं, जिससे तत्कालिन जिला कलक्टर द्वारा आदेश क्रमांक 1203-09 दिनांक 17.04.2013 द्वारा रेस्पोजेन्ट को उक्त प्रयोजनार्थ किये गये भूमि आवंटन निरस्ती आदेश में हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर तत्कालीन जिला कलक्टर डूंगरपुर द्वारा कार्यालय के आदेश क्रमांक 1203-09 दिनांक 17.04.2013 द्वारा रेस्पोजेन्ट को उक्त प्रयोजनार्थ किये गये भूमि आवंटन निरस्ती आदेश को यथावत रखने आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल में शुमार होकर नंबर से कम की गई।



  
(काना राम)  
जिला कलक्टर,  
डूंगरपुर

